International Journal in Management and Social Science
Volume 14 Issue 01, January 2026 ISSN: 2321-1784 Impact Factor: 7.088
Journal Homepage: http://ijmr.net.in, Email: irjmss@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal

सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु विद्यालयी सुविधाओं का अध्ययन

Dr. Rajesh Kumar, Assistant Registrar

Shri Vishwakarma Skill University, Palwal Haryana

भूमिका -

शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला-कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। यह प्रक्रिया मनुष्य के जन्म के साथ ही प्रारम्भ हो जाती है। बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके माता-पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य उसे सुनना और बोलना सिखाने लगते हैं।

जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है, तो उसे उठना-बैठना, चलना-फिरना, खाना-पीना तथा सामाजिक आचरण की विधियाँ सिखाई जाती हैं। जब वह तीन-चार वर्ष का होता है, तब उसे पढ़ना-लिखना सिखाया जाता है और इसी आयु में उसे विद्यालय भेजना प्रारम्भ किया जाता है। विद्यालय में उसकी शिक्षा सुनियोजित ढंग से चलती है। विद्यालय के साथ-साथ परिवार एवं समुदाय में भी उसे बहुत कुछ सिखाया जाता है, और सीखने-सिखाने का यह क्रम विद्यालय छोड़ने के बाद भी चलता रहता है।

विस्तृत रूप में देखें तो किसी समाज में शिक्षा की यह प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। वास्तविक अर्थ में, समाज में निरंतर चलने वाली सीखने-सिखाने की यह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया ही शिक्षा है।

मनुष्य समाज में निवास करता है और अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज पर आश्रित रहता है। समाज उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। समाज की परिधि में रहते हुए वह अनेक कार्य करता है और उसके प्रत्येक कार्य पर सामाजिक हित का बंधन होता है। यही सामाजिक बंधन उसके व्यवहार के समुचित विकास में सहायक होता है।

समावेशी शिक्षा के अर्थ एवं परिभाषा –

जनसंख्या वृद्धि के साथ विद्यालयों में छात्रों की विभिन्नता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह विभिन्नता सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त माता-पिता की शिक्षा, व्यवसाय, निवास क्षेत्र, भाषा एवं धर्म-संस्कृति में भी विविधता पाई जाती है।

इन विभिन्नताओं को स्वीकार करना, समेटना तथा प्रत्येक छात्र को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार विकास एवं शिक्षा का अवसर प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार, समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी सीखने वाले—चाहे वे बालक हों या युवा, सक्षम हों या दिव्यांग—सामान्य विद्यालयों, पूर्व-व्यवस्था विद्यालयों तथा सामुदायिक शिक्षा केंद्रों में उपयुक्त सहयोगी सेवाओं के साथ मिल-जुलकर सीख सकते हैं।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में स्पष्ट किया गया है कि पृथक्करण अथवा अलगाव की नीति न तो दिव्यांग बालकों के लिए और न ही सामान्य बालकों के लिए उपयोगी है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि सभी बालकों को साथ-साथ समावेशी रूप में शिक्षा दी जाए।

भौतिक संसाधनों के तत्व तथा शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव –

विद्यालय का प्रबंधन उसके मानवीय तथा भौतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। दोनों का उत्तम होना आवश्यक है। शिक्षा संस्था के मानवीय संसाधनों में मुख्याध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, कार्यालय कर्मचारी तथा सहायक कर्मचारी शामिल होते हैं।

उत्तम एवं योग्य व्यक्ति ही संस्था को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। एक आदर्श संस्था वही होती है जो अपने मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहती है और उत्कृष्टता के शिखर तक पहुँचती है।

विकलांगता क्या है –

विकलांगता एक ऐसी स्थिति है, जो व्यक्ति के सामान्य व्यवहार, कार्यक्षमता, विचार एवं दैनिक क्रियाओं को प्रभावित करती है तथा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक असंतुलन उत्पन्न कर सकती है।

बाल गोविंद तिवारी के अनुसार, विकलांगता असंतुलन की वह स्थिति है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर उसे सामान्य व्यक्तियों से भिन्न बना देती है।

शैक्षिक दृष्टि से, विकलांगता किसी भी प्रकार की अक्षमता हो सकती है, जो किसी बालक को औसत बालकों की भाँति शिक्षा ग्रहण करने में बाधित करती है। ऐसे बालक सामान्य शिक्षा पद्धति से पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते, अतः उन्हें अतिरिक्त सहायता एवं विशेष शिक्षण की आवश्यकता होती है।

अध्ययन का औचित्य –

प्रत्येक विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं और उन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। इस शोध के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का दिव्यांग बालक पूर्ण रूप से लाभ उठा पा रहे हैं या नहीं।

यह अध्ययन निम्न प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करता है—

1. क्या सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों को पर्याप्त सुविधाएँ प्राप्त हो रही हैं?
2. क्या ये सुविधाएँ उनकी शिक्षा को सुगम बनाती हैं?
3. क्या सरकारी योजनाओं एवं निजी प्रयासों से उनके शिक्षा स्तर में सुधार हुआ है?
4. शिक्षा में उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए और क्या प्रयास अपेक्षित हैं?

समस्या कथन –

"सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु विद्यालयी सुविधाओं का अध्ययन।"

अध्ययन में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण -

सरकारी विद्यालय - वे विद्यालय जो केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं।

गैर-सरकारी विद्यालय - वे विद्यालय जो सरकार की अनुमति से निजी संस्थाओं द्वारा संचालित किए जाते हैं।

विद्यालय - विद्यालय एक विशेष वातावरण है, जहाँ विद्यार्थियों के समग्र विकास के उद्देश्य से विभिन्न शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं।

विकलांग (दिव्यांग) - वह व्यक्ति जिसकी शारीरिक या मानसिक अक्षमता उसकी दैनिक क्रियाओं को दीर्घकालिक रूप से प्रभावित करती है।

विद्यार्थी - 'विद्यार्थी' शब्द 'विद्या' और 'अर्थी' से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है शिक्षा प्राप्त करने वाला। विद्यार्थी को शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है।

सुविधाएँ - वे मूलभूत आवश्यकताएँ जो विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए आवश्यक होती हैं।

अध्ययन के उद्देश्य -

1. सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग छात्राओं को मिलने वाली विद्यालयी सुविधाओं का अध्ययन करना।
2. गैर-सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग छात्राओं को मिलने वाली विद्यालयी सुविधाओं का अध्ययन करना।
3. सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों को मिलने वाली विद्यालयी सुविधाओं का अध्ययन करना।
4. गैर-सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों को मिलने वाली विद्यालयी सुविधाओं का अध्ययन करना।
5. सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में दिव्यांग छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना।
6. सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में दिव्यांग छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना।
7. सरकारी विद्यालयों की दिव्यांग छात्राओं एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के दिव्यांग छात्रों के बीच सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना।
8. गैर-सरकारी विद्यालयों की दिव्यांग छात्राओं एवं सरकारी विद्यालयों के दिव्यांग छात्रों के बीच सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना।

International Journal in Management and Social Science
Volume 14 Issue 01, January 2026 ISSN: 2321-1784 Impact Factor: 7.088
Journal Homepage: http://ijmr.net.in, Email: irjmss@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal

अध्ययन की परिकल्पनाएँ –

1. सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विकलांग छात्राओं को मिलने वाली विद्यालयी सुविधाओं में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विकलांग छात्रों को मिलने वाली विद्यालयी सुविधाओं में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विकलांग छात्राओं तथा गैर-सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विकलांग छात्रों को मिलने वाली विद्यालयी सुविधाओं में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. गैर-सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विकलांग छात्राओं तथा सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विकलांग छात्रों को मिलने वाली विद्यालयी सुविधाओं में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

अध्ययन की परिसीमाएँ –

1. यह अध्ययन फतेहाबाद जिले तक ही सीमित रखा गया।
2. सरकारी तथा गैर-सरकारी विद्यालयों में विकलांग छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं का अध्ययन किया गया।

अध्ययन की अनुसंधान विधि –

प्रस्तुत शोधकार्य में वर्णात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। शैक्षिक अनुसंधान में इस विधि का व्यापक उपयोग होता है। इसे मानवीय सर्वेक्षण के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य यथार्थ के विभिन्न पक्षों का वर्णन करना है।

जनसंख्या –
प्रस्तुत अध्ययन में फतेहाबाद जिले के सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विकलांग विद्यार्थियों को जनसंख्या के रूप में लिया गया। यह एक परिमित जनसंख्या है।

अध्ययन नमूना (न्यादर्श) –

प्रस्तुत अध्ययन में फतेहाबाद जिले के पाँच सरकारी एवं पाँच गैर-सरकारी विद्यालयों से कुल 200 विकलांग विद्यार्थियों (100 छात्र एवं 100 छात्राएँ) का चयन नमूने के रूप में किया गया।

अध्ययन उपकरण –

इस शोधकार्य में आँकड़ों के संकलन हेतु शोधकर्ता द्वारा स्वयं निर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया, जिसके माध्यम से सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में विकलांग विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं का अध्ययन किया गया।

सांख्यिकी पद्धतियाँ –

आँकड़ों के विश्लेषण हेतु निम्नलिखित सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया:

International Journal in Management and Social Science
Volume 14 Issue 01, January 2026 ISSN: 2321-1784 Impact Factor: 7.088
Journal Homepage: http://ijmr.net.in, Email: irjmss@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal

(1) माध्य (Mean) –

विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात करने के लिए माध्य निकाला गया।
माध्य = (सभी मानों का योग) / (कुल मानों की संख्या)

(2) मानक विचलन (Standard Deviation) –

मानक विचलन औसत से विचलनों के वर्गों के औसत का वर्गमूल होता है। यह प्राप्तांकों के फैलाव को दर्शाता है।

(3) t-परीक्षण (t-test) –

दो समूहों के बीच अंतर ज्ञात करने हेतु t-परीक्षण का उपयोग किया गया।

अध्ययन के परिणाम –

1. सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विकलांग छात्राओं के प्राप्तांकों का मध्यमान 20.14 तथा मानक विचलन 3.31 पाया गया, जो सुविधाओं के सामान्य स्तर को दर्शाता है।
2. गैर-सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विकलांग छात्राओं का मध्यमान 30.01 तथा मानक विचलन 4.12 पाया गया, जो उच्च स्तर की सुविधाओं को दर्शाता है।
3. सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विकलांग छात्रों का मध्यमान 20.12 तथा मानक विचलन 3.10 पाया गया, जो सामान्य स्तर को दर्शाता है।
4. गैर-सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विकलांग छात्रों का मध्यमान 29.15 तथा मानक विचलन 3.32 पाया गया, जो उच्च स्तर को दर्शाता है।
5. छात्राओं के तुलनात्मक अध्ययन में t-मूल्य 13.33 पाया गया, जो सारणी मान 1.96 से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना निरस्त की जाती है और दोनों प्रकार के विद्यालयों में सार्थक अंतर पाया गया।
6. छात्रों के तुलनात्मक अध्ययन में t-मूल्य 19.63 पाया गया, जो सारणी मान से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना निरस्त होती है और सुविधाओं में सार्थक अंतर पाया गया।
7. सरकारी विद्यालयों की छात्राओं और गैर-सरकारी विद्यालयों के छात्रों के बीच तुलना में t-मूल्य 19.21 पाया गया, जो सारणी मान से अधिक है। अतः सार्थक अंतर पाया गया।
8. गैर-सरकारी विद्यालयों की छात्राओं और सरकारी विद्यालयों के छात्रों के बीच तुलना में t-मूल्य 13.73 पाया गया, जो सारणी मान से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना निरस्त होती है और सार्थक अंतर पाया गया।

अध्ययन के निष्कर्ष –

किसी भी अध्ययन में परिणामों की जांच के पश्चात अध्ययनकर्ता का किसी निष्कर्ष पर पहुँचना आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक अध्ययनकर्ता किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता, तब तक शोध की गई समस्या के समाधान हेतु प्रयास एवं भावी अध्ययन के लिए सुझाव संभव नहीं होते। यद्यपि शुद्ध परिणाम एवं निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए अध्ययनकर्ता द्वारा पूर्ण प्रयास किया गया है, तथापि अध्ययन में कुछ कमियाँ रह जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययनकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विकलांग छात्र-छात्राओं को मिलने वाली सुविधाएँ सामान्य स्तर की हैं। उन्हें कुछ सुविधाएँ सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं, परन्तु उन पर भी भ्रष्टाचार, महंगाई एवं अन्य कारकों का प्रभाव पड़ता है। यदि सरकारी विद्यालयों में मिड-डे मील प्रदान किया जाता है, तो वह कई बार अस्वच्छ एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया जाता है। यदि विकलांग छात्रों को साइकिलें एवं चिकित्सीय जाँच प्रदान की जाती हैं, तो वह भी सीमित छात्रों तक ही पहुँच पाती हैं। इसी प्रकार, कपड़े, पुस्तकें एवं अन्य सुविधाएँ भी प्रायः सत्र के काफी समय बीत जाने के बाद उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सबमें भी सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही एवं उदासीनता का प्रभाव देखा जाता है।

साफ पेयजल की व्यवस्था की बात करें तो जल टंकियों की नियमित सफाई नहीं की जाती, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही, कुछ सरकारी अध्यापक भी विभिन्न कारणों से अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन दिखाई देते हैं।

इसके विपरीत, गैर-सरकारी विद्यालयों में—विशेषकर वे विद्यालय जहाँ अभिभावकों से अधिक शुल्क लिया जाता है—विकलांग छात्रों को उच्च स्तर की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। समय-समय पर चिकित्सीय जाँच, आधुनिक उपकरणों के माध्यम से शिक्षण, तथा छात्रों को अनुशासित एवं सामाजिक बनाने हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उचित रैम्प, लिफ्ट, परिवहन (वैन) सुविधा एवं शिक्षकों की सतत निगरानी भी उपलब्ध रहती है।

छात्र-छात्राओं के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि उन्हें मिलने वाली सुविधाओं में कोई सार्थक अंतर नहीं है। किन्तु सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं में स्पष्ट एवं सार्थक अंतर पाया गया है।

शैक्षिक निहितार्थ -

1. यह अध्ययन विकलांग छात्रों के लिए उपयोगी है।
2. यह अध्ययन अभिभावकों के लिए भी उपयोगी है, जिससे वे अपने बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3. यह अध्ययन सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में विकलांग छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं के विश्लेषण एवं उनके विकास के लिए सहायक है।
4. यह अध्ययन केन्द्रीय, नवोदय, डी.ए.वी. एवं अन्य विद्यालयों में विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं के मानकों के निर्धारण में सहायक हो सकता है।
5. यह अध्ययन अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्गों के छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं के मूल्यांकन एवं सुधार हेतु उपयोगी है।
6. यह अध्ययन राज्य एवं केन्द्र सरकार को अपनी नीतियों एवं छात्र-सुविधाओं के मूल्यांकन एवं सुधार में सहायता प्रदान करता है।
7. यह किसी भी सरकारी विद्यालय की कार्यप्रणाली एवं वहाँ उपलब्ध सुविधाओं के अध्ययन के लिए उपयोगी है।

भावी अध्ययन के लिए सुझाव -

1. यह अध्ययन सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के विकलांग विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं पर आधारित है। भविष्य में इसे केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के संदर्भ में भी किया जा सकता है।

2. यह अध्ययन केवल टोहाना ब्लॉक तक सीमित है; इसे अन्य जिलों के तुलनात्मक अध्ययन के रूप में भी विस्तारित किया जा सकता है।
3. दो राज्यों के मध्य विकलांग छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
4. भावी अध्ययन डी.ए.वी. विद्यालयों के विकलांग छात्रों पर भी किया जा सकता है।
5. सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि के उपयोग एवं उसके प्रभाव का विश्लेषण भी किया जा सकता है।
6. इस विषय पर एम.फिल. एवं पीएच.डी. स्तर के शोध कार्य किए जा सकते हैं।
7. अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्गों के छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं के विशेष अध्ययन भी किए जा सकते हैं।